

कार्यवृत्त
बुधवार, 27 भाद्रपद, शक संवत्, 1935
(दिनांक 18 सितम्बर, 2013 ई0)

खण्ड-37
अंक-1

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में राष्ट्रीय गीत “वन्दे मातरम्” के साथ आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि दिनांक 16 एवं 17 जून, 2013 को उत्तराखण्ड में बादलों के फटने भू-स्खलन, ग्लेशियरों के पिघलने तथा त्वरित बाढ़ से लगभग 40,000 वर्ग कि०मी० का क्षेत्र प्रभावित हुआ। यह आपदा पूरब में काली नदी से लेकर गोरी, धौली, पिण्डर, अलकनन्दा, मन्दाकनी, भिलंगना, भागीरथी और यमुना आदि नदियों एवं घाटियों में एक साथ आयी। इससे प्रदेश के चार जिले उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली तथा पिथौरागढ़ विशेषकर प्रभावित हुए। सबसे अधिक क्षति केदारनाथ यात्रा मार्ग तथा केदारनाथ धाम में हुई।

केदारनाथ मन्दिर से ऊपर की पहाड़ियों में स्थित चौराबारी सरोवर के फटने के कारण 40 कि०मी० प्रति घण्टा से आया जल प्रलय तथा मलबा अपने मार्ग में आने वाली प्रत्येक वस्तु को बहा कर ले गया, जिससे हजारों की संख्या में लोग मारे गये तथा बड़ी संख्या में लापता हो गये। घायलों की संख्या भी बहुत अधिक रही। इस विनाशलीला में उत्तराखण्ड के गांव के गांव तबाह हो गये, बड़ी संख्या में सड़कें जगह-जगह नष्ट हो गईं जिससे अनेक स्थान मुख्य धारा से कट गये।

इस सदन की ओर से हम इस भयंकर प्राकृतिक आपदा में मारे गये लोगों तथा राहत कार्य में शहीद हुए सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, एन०डी०आर०एफ० के जवानों तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही उन परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके परिवारों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करे।

उक्त सूचना से सहमति व्यक्त करते हुए सभी सदस्य दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए दो मिनट मौन खड़े हुए।

नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट ने नियम-310 के अन्तर्गत दी गई सूचना जो प्रदेश में हुई भीषण दैवीय आपदा के सम्बन्ध में प्रश्नकाल स्थगित करते हुए चर्चा कराये जाने की मांग की। इस पर श्री अध्यक्ष ने नियम-310 के अन्तर्गत चर्चा स्वीकार कर यह भी उल्लेख किया कि इसे भविष्य के लिए नजीर न बनाई जाय। (उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।)

तदपश्चात् नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट ने अपने विचार व्यक्त किये।

निम्नांकित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किये :-

श्री संजय गुप्ता,
श्री मदन कौशिक,
श्रीमती शैला रानी रावत।

सदन की कार्यवाही 2 बजकर 2 मिनट पर भोजनावकाश के लिए 3 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

भोजनावकाश के बाद पुनः चर्चा श्री विशन सिंह चुफाल के भाषण से आरम्भ हुई।

श्रीमती विजय बड़थवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2013 को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड आकस्मिता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) अध्यादेश, 2013 को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने “भारत का संविधान” के अनुच्छेद-151(2) के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए “राज्य के वित्त पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन” एवं 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए “भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या-1)” तथा 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए “जिला नैनीताल पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या-2)” को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अनुसार आयुक्त उत्तराखण्ड के वर्ष 2011 का प्रतिवेदन, स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित सदन के पटल पर रखा।

वित्त मंत्री ने स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा 8(3) के अन्तर्गत स्थानीय निधि लेखा परीक्षा एवं सहायक समितियां एवं पंचायतें, वित्तीय वर्ष 2011-12 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने “भारत का संविधान” के अनुच्छेद-323(2) के अधीन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के एकादश वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104(4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2011-12 का वार्षिक लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखा।

अपर सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि :-

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2013 का चौदहवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2013 का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2013 का सोलहवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2013 का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड विविध अधिनियम विधिमान्यकरण विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2013 का अठारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2013 का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2013 का बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्म और सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2013 का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2013 का बाईसवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2013 का तेईसवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अप्रैल, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2013 का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अप्रैल, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2013 का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2013 का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।

श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा ने “जनपद पितौरागढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल मोष्टामानू में निर्माणाधीन बसे चिकित्सालय के राके गये निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री लीलाम्बर गुरुरानी, निवासी-ग्राम रतवाली पो0 नाकोट, जनपद पितौरागढ़ एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री अजय टट्टा, सदस्य, विधान सभा ने “जनपद अल्मोड़ा के सोमेश्वर विकास खण्ड हवालबाग के कारगिल शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग को ग्राम पंचायत खड़ाऊं से मुख्य मोटर मार्ग बसौली तक जोड़े जाने के सम्बन्ध में” श्री बलवन्त सिंह बिष्ट, प्रधान, ग्राम पंचायत खड़ाऊं, विकास खण्ड ताकुला, जनपद अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने “जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा अम्बाड़ी के ग्राम बाड़वाला, राजावाला में पेयजल नलकूप की स्वीकृति के सम्बन्ध में” श्री मदनपाल सिंह, निवासी-ग्राम सभा अम्बाड़ी, विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने “जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर ग्राम पृथ्वीपुर (अनुसूचित ग्राम बहादुरगढ़) की कृषि भूमि की सिंचाई हेतु सिंचाई नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में” श्री कुंवरपाल सिंह, निवासी-ग्राम पृथ्वीपुर, ग्राम सभा पृथ्वीपुर, विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने “जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा मेहूवाला खलसा में कृषि भूमि की सिंचाई हेतु सिंचाई नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में” श्री आशाराम, निवासी-ग्राम सभा मेहूवाला खलसा, विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने “जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा बड़वा में कृषि भूमि के लिए सिंचाई नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में” श्री कुंवर सिंह, निवासी-ग्राम बड़वा, विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने “जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा अम्बाड़ी के ग्राम डूमेट में कृषि भूमि की सिंचाई के लिए सिंचाई नलकूप के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में” श्री अतर सिंह, निवासी-ग्राम सभा अम्बाड़ी, विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री अध्यक्ष द्वारा आज की कार्यसूची की मद संख्या-22 पर अंकित याचिका को उपस्थित करने हेतु माननीय सदस्य श्री राजेश शुक्ला का नाम पुकारा गया किन्तु सदस्य सदन में उपस्थित न होने के कारण याचिका उपस्थित नहीं की गई।

श्रीमती विजय बड़थवाल, सदस्य, विधान सभा ने “जनपद पौड़ी गढ़वाल के पट्टी विचला ढांगू, मल्ला ढांगू एवं तल्ला ढांगू व डबरालखूं विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में” श्री भगवती प्रसाद जुयाल, निवासी-ग्राम नैरूल, पो0 सिलोगी, जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्रीमती विजय बड़थवाल, सदस्य, विधान सभा ने “जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के लक्ष्मण झूला, कांडी दुगड़ा 112 कि०मी० क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में” श्री सत्य प्रसाद काला, निवासी-ग्राम पोस्ट गूम (पौखाल), जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

परिहवन मंत्री ने उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

परिहवन मंत्री ने उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 17 सितम्बर, 2013 की बैठक में दिनांक 18 सितम्बर, 2013 से दिनांक 20 सितम्बर, 2013 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

सितम्बर, 2013

- | | | |
|----|----------|---|
| 18 | बुधवार | (1) औपचारिक कार्य। (2) अध्यादेशों का सदन के पटल पर रखा जाना। |
| 19 | गुरुवार | (1) अनुदानवार अनुपूरक मांगों का प्रस्तुतीकरण। (अपराह्न 04:00 बजे) (2) अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान। |
| 20 | शुक्रवार | (1) विधायी कार्य (आधा दिवस)। (2) असरकारी कार्य (आधा दिवस)। |

निम्नलिखित असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:-

1. श्री मदन कौशिक, “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में आवश्यकता के अनुसार बिना किसी भेदभाव के समान रूप से योजनायें बनाकर विकास किया जाय।”
(15 मिनट)
2. श्री हरबंस कपूर “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि देश में स्वशासन को वास्तविकता प्रदान करने में पंचायती राज व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है।”
और, चूंकि शहरी क्षेत्र स्थानीय निकायों का गठन इस व्यवस्था को शहरों में मूर्तरूप देने के लिए किया गया है,
और, चूंकि संविधान के भाग IX-(A)- ‘नगर निकाय’ के अन्तर्गत इन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त है,
और, चूंकि नगर निकायों की निधि तथा कर आदि संबंधी प्राविधान संविधान के अनुच्छेद 243(x) के अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल द्वारा विधि बनाकर उपबन्धित किया जाता है,
और, चूंकि नगर निकायों के कार्यक्षेत्र में आधुनिक समय की आवश्यकताओं को देखते हुए कार्य को सुगम बनाने के लिए कतिपय सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है।
अतएव यह सदन संकल्प करता है कि स्थानीय नगर निकायों के सदस्यों को ग्राम पंचायत सदस्यों की भांति अपने कार्य के प्रभावी कुशल तथा यथोपेक्षित निष्पादन के लिए मानदेय, यात्रा भत्ता, संचार भत्ता, सचिवीय भत्ता आदि सुविधाएं प्रदान करने हेतु संबंधित अधिनियमों में यथावश्यक संशोधन किया जाय।” (15 मिनट)

3. श्री विशन सिंह चुफाल “यह सदन संस्तुति करता है कि प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जनपदों में स्थानीय लोगों के पलायन को रोकने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध किये जाने के लिए अलग से सीमान्त क्षेत्र विकास योजनाएं बनाई जाये।” (15 मिनट)
4. श्री भीमलाल आर्य “यह सदन संस्तुति करता है कि विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित असेना के 16 अनुसूचित जाति परिवारों को पुनर्वास/विस्थापन के आवासी भूखण्ड एवं 48 अनुसूचित जाति के परिवारों को कृषि भूखण्ड यथाशीघ्र आवंटित किये जाये।” (15 मिनट)

विगत सत्र के असरकारी संकल्प

1. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा। (15 मिनट)
- “इस माननीय सदन की सर्वसम्मति राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर अस्थाई राजधानी घोषित किया जाय।”
2. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा। (15 मिनट)
- “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय।”

विगत सत्र के नियम-105 के प्रस्ताव

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा। (15 मिनट)
- “यह माननीय सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाय।”
2. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा। (15 मिनट)
- “यह माननीय सदन रेल मंत्रालय केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य देहरादून के धर्मावाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकटतम स्थान तक सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिए एक नये रेल मार्ग की स्वीकृति दी जाय।”
3. श्री हरिदास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा। (15 मिनट)
- “उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।”

विगत सत्र की नियम-54 की सूचना

1. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा। (15 मिनट)
- “प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।”

2. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा। (15 मिनट)

“जनपद देहरादून के पछवाडून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षों से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि के सम्बन्ध में।”

3. श्री हेमेश खर्कवाल, श्री मयूख महर एवं श्री गणेश गोदियाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा। (15 मिनट)

“वनों को संरक्षित करना एवं सस्ते गैस सिलिण्डर उपलब्ध कराना जनहित में अति आवश्यक है।”

4. श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा। (15 मिनट)

“विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत कम ऊँचाई के क्षेत्र मृग विहार बनने से ठप्प हो रहे विकास कार्य के दृष्टिगत मृग विहार बनाने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाय।”

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम- 53 के अन्तर्गत 8 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इनमें से

जनपद नैनीताल के भीमताल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत काला पातल-ल्वेशाल एवं कस्यालेख-सूपी पाटा रोड के बन्द होने से जनता को रही परेशानी के सम्बन्ध में श्री दान सिंह भण्डारी की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मूनाकोट के प्राथमिक विद्यालय खूना के क्षतिग्रस्त भवन के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री बिशन सिंह चुफाल की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

प्रदेश में हुई भीषण दैवीय आपदा के सम्बन्ध में 3 बजकर 55 मिनट पर पुनः चर्चा श्री विजयपाल सिंह सजवाण के भाषण से आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किये:-

श्री दलीप सिंह रावत,

श्री बंशीधर भगत,

श्री चन्दन राम दास,

डा० जीत राम,

श्री तीरथ सिंह रावत,

श्री राजकुमार ठुकराल,

श्री भीम लाल आर्य।

चर्चा जारी रहेगी।

सदन की कार्यवाही 5 बजकर 44 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र,
अपर सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
गोविन्द सिंह कुंजवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।